# भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 86A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

कविराज उराँव ..............................आवेदक/विक्रेता

बनाम

कुंजो उराँव ..................................क्रेता

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|

8-07-2020

विक्रेता :- कविराज उराँव पिता स्व0 मनसा उराँव, ग्राम-आनन्दडीह, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-उराँव।

क्रेता :- कुंजो उराँव, पति माधो उराँव, ग्राम-आनन्दडीह, थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-उराँव।

विक्रेता द्वारा दिनांक 03.10.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता कुंजो उराँव, पति माधो उराँव, ग्राम-आनन्दडीह,थाना-खरसावाँ, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

| मौजा | थाना /थाना नं0 | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| आनन्दडीह | खरसावाँ/124 | 139 | 552 | 0.07300ए0 |
| | | | 521 | 0.15200ए0 |
| | | | कुल- | **0.22500ए0** |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, खरसावाँ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, खरसावाँ का पत्रांक 438 दिनांक 20.06.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता मनसा उराँव एवं अन्य के नाम से खतियान एवं पंजी-II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-4.78एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है एवं जाति-'उराँव' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार.....................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, खरसावाँ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की हैं।

अतः अंचल अधिकारी, खरसावाँ के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता कविराज उराँव पिता स्व0 मनसा उराँव, ग्राम–आनन्दडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता कुंजो उराँव, पति माधो उराँव, ग्राम–आनन्दडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.22500एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

08/07/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner